

प्रेषक,

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड  
ननूरखेड़ा, तपोवन मार्ग, देहरादून।

सेवा में,

1. निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक  
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलीय अपर निदेशक

पत्रांक : प्रा0शि0-शि0सेवा(2)/ 4094-102 / स्था0पत्रा0-2015/2015-16 दिनांक: 30 मई, 2015  
विषय : उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 के अनुसार शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु समय सारिणी का निर्धारण विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-87/XXIV-नवसृजित/2015-32(01) /13 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित दिनांक 03 मार्च, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण नियमावली-2013 के नियम-27 के अनुसार शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु प्रेषित समय सारिणी का अनुमोदन प्रदान किया गया है। किन्तु कतिपय कारणों से उक्त समय सारिणी के अनुसार शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने के कारण उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-290/XXIV-नवसृजित/15-32(01)/13टी0सी0-45 दिनांक 27.05.2015 द्वारा संलग्नानुसार संशोधित समय सारिणी निर्गत की गयी है।

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-390/XXIV-नवसृजित/2015-32(01)/2013 दिनांक 27.05.2015 द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (पंचम संशोधन) नियमावली-2015 प्रख्यापित की गयी है।

अतः शासन द्वारा अनुमोदित समय सारिणी एवं पंचम संशोधन नियमावली-2015 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा तदनुसार अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।  
संलग्न : यथोपरि।

भवदीय  
30/5/15  
(सीमा जौनसारी)  
निदेशक

पू0सं0 : प्रा0शि0-शि0सेवा(2)/ 4094-102 / स्था0पत्रा0-2015/2014-15 दिनांक .उक्तवत्।  
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अनु सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड। (मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से)
4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड। (मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से)
5. एम0आई0एस0 प्रभारी, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड को इस आशय से कि अनुमोदित समय सारिणी एवं नियमावली को को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपदीय अधिकारी के माध्यम से)

(सीमा जौनसारी)  
निदेशक

प्रेषक,  
डा0एम0सी0 जोशी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

2. निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित

देहरादून: दिनांक 27 मई, 2015

विषय:- उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली-2013 के अनुसार शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु संशोधित समय सारणी का निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-87/XXIV-नवसृजित/2015-32(01)/13 दिनांक 03.03.2015 द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली-2013 के अनुसार शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु समय सारणी का निर्धारण की अनुमति प्रदान की गयी थी। किन्तु कतिपय कारणों से उक्त समय सारणी अनुसार शिक्षकों की वार्षिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया उक्तानुसार निर्धारित समय पर सम्पन्न नहीं की जा सकती है। अतः निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-प्रा0शि0-सेवा(2) /3534/स्था0निय0-2015/2015-16 दिनांक 22.05.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली-2013 के नियम-27 के अनुसार शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु निम्नानुसार संशोधित समय सारणी निर्गत की जाती है:-

क्र0 सं0	शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण के क्रियान्वयन हेतु गतिविधि	निर्धारित तिथि	क्रियान्वयन हेतु अधिकृत अधिकारी
1	रिवित्तियां संसूचित करना: a. जनपद / ब्लाक स्तर पर जनपद में स्थित राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्र0अ0/स0अ0 की रिवित्त संसूचित करना b. मण्डल व जनपद स्तर पर मण्डल में स्थित राजकीय हाईस्कूल/राजकीय कन्या हाईस्कूल व रा0इ0का0/रा0क0इ0का0 में स0अ0 एल0टी0 तथा प्रवक्ता की विषयवार रिवित्त संसूचित करना	30 मई, 2015 तक	1. प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0 शि0) 2. माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
2	मानक से अधिक/असंगत विषयाध्यापकों का समायोजन	05 जून, 2015 तक	1. प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0 शि0) 2. माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0)
3	मानक से अधिक/असंगत विषयाध्यापकों के समायोजन के पश्चात् समायोजित शिक्षकों के सेवाविवरण की ऑनलाइन प्रविष्टि	08 जून, 2015 तक	मुख्य शिक्षा अधिकारी

289  
29/05/15

के.डी.ए.  
30/05/15  
मन्मथी/असली  
को साबर को  
29/5/15  
DE



4	अधिकृत अधिकारियों द्वारा X- क्षेत्र एवं Y- क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों की सूची जारी करना	10 जून, 2015 तक	1. प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०) 2. माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
5	a. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों की आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण करना b. Y- क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक जो Y- क्षेत्र से अनिवार्य स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं, से स्थानान्तरण न चाहने का प्रार्थना पत्र प्राप्त करना	15 जून, 2015 तक	1. प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०) 2. माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
6	a. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र प्र०अ०/ स०अ० प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्थानान्तरण हेतु विकल्प प्राप्त करना b. मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र स०अ० एल०टी० व प्रवक्ता से मण्डलान्तर्गत विद्यालयों के विकल्प प्राप्त करना तथा तत्पश्चात् मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र स०अ० एल०टी० व प्रवक्ता के विकल्प पत्र उपलब्ध करवाना	18 जून, 2015 तक	1. प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०) 2. माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
7	a. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा पात्र प्र०अ०/ स०अ० प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना b. मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा मण्डलान्तर्गत पात्र स०अ० एल०टी० व प्रवक्ता के अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना	26 जून, 2015 तक	1. प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०) 2. माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
8	अनिवार्य स्थानान्तरण के सापेक्ष स्थानान्तरण नियमावली-2013 के नियम: 26 में दी गई अपीलीय व्यवस्था के अनुसार शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, अपील हेतु नियमावली के अनुसार अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में अपील का आवेदन पत्र मय प्रमाण पत्रों के जमा करना	27 जुलाई, 2015 तक	1. प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०) 2. माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)
9	अधिकृत अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण करना	31 जुलाई, 2015 तक	1. प्रारम्भिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा० शि०) 2. माध्यमिक शिक्षा में अपर निदेशक (मा०शि०) मुख्यालय देहरादून
10	शिक्षकों द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना	05 जून, 2015 तक	ख०शि०अ०/ उ०शि०अ०
11	ख०शि०अ० कार्यालय द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करना व पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्रों की छटनी करना	10 जून, 2015 तक	ख०शि०अ०/ उ०शि०अ०
12	अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जमा करना :	15 जून, 2015 तक	खण्ड शिक्षा अधिकारी

	<p>a. स०अ० एल०टी० व प्रवक्ता के आवेदन पत्र मय सूची के, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में</p> <p>b. स०अ०/प्र०अ० रा०प्रा०वि० व उ०प्रा०वि० के आवेदन पत्र मय सूची के, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) कार्यालय में</p>		
13	<p>a. मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र स०अ० एल०टी० एवं प्रवक्ता के आवेदन पत्र मय सूची के मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करना</p> <p>b. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अनुरोध के आधार पर अन्तर जनपदीय व अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण चाहने हेतु पात्र स०अ० प्राथमिक के आवेदन पत्र मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कार्यालय में जमा करना</p>	18 जून, 2015 तक	<p>1. प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०)</p> <p>2. माध्यमिक शिक्षा में मुख्य शिक्षा अधिकारी</p>
14	<p>a. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु पात्र समस्त स०अ० एल०टी० व प्रवक्ता के आवेदन पत्र मय सूची के अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) मुख्यालय में जमा करना</p> <p>b. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु पात्र समस्त स०अ० प्राथमिक के आवेदन पत्र मय सूची के अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) मुख्यालय देहरादून के कार्यालय में जमा करना</p>	24 जून, 2015 तक	<p>1. प्रारम्भिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा० शि०)</p> <p>2. माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)</p>
15	<p>a. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा पात्र स०अ०/ प्र०अ० रा०प्रा०वि० व रा०उ०प्रा०वि० के जनपदान्तर्गत अनुरोध के स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना</p> <p>b. मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा पात्र स०अ० एल०टी० एवं प्रवक्ता के मण्डलान्तर्गत अनुरोध के स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना</p> <p>c. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा पात्र स०अ० राजकीय प्राथमिक विद्यालय के मण्डलान्तर्गत एक जनपद से दूसरे जनपद में अनुरोध के स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना</p>	30 जून, 2015 तक	<p>1-प्रारम्भिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०)</p> <p>2- माध्यमिक शिक्षा में मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)</p> <p>3- मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा०शि०)</p>
16	मुख्यालय के अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) द्वारा पात्र स०अ० एल०टी० एवं प्रवक्ता तथा अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा पात्र स०अ० राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अनुरोध के आधार पर अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण आदेश निर्गत करना	04 जुलाई, 2015 तक	<p>1. प्रारम्भिक शिक्षा में अपर निदेशक (प्रा० शि०) मुख्यालय,</p> <p>2. माध्यमिक शिक्षा में अपर निदेशक (मा०शि०) मुख्यालय, देहरादून</p>

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(डा०एम०सी० जोशी)

सचिव